न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 147/2022(2022/584)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर रीको लिमिटेड, वैशालीनगर अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील कार्यालय केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः— श्री नन्दकिशोर वर्मा—वकील प्रार्थी

तहसीलदार केकडी—पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक— 15.02.2023

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया है। संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगम द्वारा तहसील व कस्बा केकड़ी में तीन चरण में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50 बीघा (प्रथम चरण), 50 बीघा (द्वितीय चरण) एवं 93—10—00 बीघा (तृतीय चरण) का आवंटन निगम हित में किया गया है। तहसीलदार, केकड़ी द्वारा भूमि का कब्जा लेने का प्रतिवेदन दिनांक 05.09.1982 को जारी किया गया जिसके अनुसार जिलाधीश महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक राजस्व/एफ/12/सी/5/78/4291—97 दिनांक 19.09.1980 के अनुसरण में खसरा संख्या 669/3/3 की 50—00—00 बीघा का कब्जा प्रार्थी को दिया गया। जिलाधीश महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक राजस्व/एफ/12/सी/5/78/25 दिनांक 01.06.1985 के अनुसरण में निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक आईपीआई(अ)/173/76 दिनांक 22.07.1985 के द्वारा खसरा नम्बर 669/3 की 50 बीघा भूमि की कुल कीमत 50000/— रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रार्थी को प्रदान की गई। तहसीलदार केकडी द्वारा जारी भूमि का कब्जा लेने का प्रतिवेदन दिनांक 27.09.1996 को जारी आदेशानुसार एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ—4/85/उद्योग/1/91 दिनांक 23.01.1996 के अनुसरण में खसरा नम्बर 669/3/1 की 93—10—00 बीघा भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिया गया। प्रार्थी वर्तमान में कब्जे स्वामित्व आधिपत्य मालिकाना हक अधिकार की आराजीयात ग्राम केकड़ी में जयपुर रोड, पर खसरा संख्या 10292/4810 रकबा 6.65 हैक्ट, खसरा संख्या 4698 रकबा 0.80 है., खसरा संख्या 4812 रकबा 1.55 है., खसरा संख्या 4812/8679 रकबा 8.49 है., खसरा संख्या 4964 रकबा 0.84 है., खसरा संख्या 4965 रकबा 0.12 है., खसरा संख्या 4966 रकबा 0.44 है., खसरा संख्या 4967 रकबा 2.37 है., खसरा संख्या 4968 रकबा 0.32 है., खसरा संख्या 4969 रकबा 0.73 है., खसरा संख्या 4970 रकबा 0.26 है., खसरा संख्या 4971 रकबा 0.70 है., खसरा संख्या 4972 रकबा 0.20 है., खसरा संख्या 4973 रकबा 0.20 है., खसरा संख्या 4974 रकबा 0.42 है. खसरा संख्या 4975 रकबा 0.67 है., खसरा संख्या 5022 रकबा 0.24 है., खसरा संख्या 5023 रकबा 0.64 है. जो कि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होती चली आर ही है। इसके अलावा खसरा संख्या 10293/4810, खसरा संख्या 4809, खसरा संख्या 4809/8640. में भी प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरों के अलावा प्रार्थी का कब्जा इन्द्राज किया गया है उसे विलोपित करते हुए प्रार्थी को प्राप्त कब्जे के अनुसार उक्त कुल 193—10—00 बीघा भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में करवाया जाकर नक्शा दुरुस्ती करवाये जाने का निवेदन किया जाकर समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपने सही स्थान के खसरा का इन्द्राज कराने एवं राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये **तहसीलदार केकडी— ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2023/111 दिनांक 02.02.2023 से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार हैः—**

प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3,4 के संबंध में निवेदन किया गया है कि कस्बा केकड़ी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 2986 के खसरा संख्या 10292/4810 रकबा 6.65 हैक्ट, खसरा संख्या 4698 रकबा 0.80 है., खसरा संख्या 4812 रकबा 1.55 है., खसरा संख्या 4812/8679 रकबा 8.49 है., खसरा

केकड़ी जिला—अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

संख्या 4964 रकबा 0.84 है., खसरा संख्या 4965 रकबा 0.12 है., खसरा संख्या 4966 रकबा 0.44 है., खसरा संख्या 4967 रकबा 2.37 है., खसरा संख्या 4968 रकबा 0.32 है., खसरा संख्या 4969 रकबा 0.73 है. खसरा संख्या 4970 रकबा 0.26 है., खसरा संख्या 4971 रकबा 0.70 है., खसरा संख्या 4972 रकबा 0.20 है., खसरा संख्या 4973 रकबा 0.20 है., खसरा संख्या 4974 रकबा 0.42 है. खसरा संख्या 4975 रकबा 0.67 है., खसरा संख्या 5022 रकबा 0.24 है., खसरा संख्या 5023 रकबा 0.64 है., खसरा संख्या 5024/8637 रकबा 2.90 है., 9948/5028 रकबा 2.46 है. किता 20 रकबा 31.00 हैक्टर राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर (रिको लि0 केकड़ी) के नाम दर्ज है। शेष कथन वादी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 5 के संबंध में एवं प्रार्थनापत्र अनुसार रिको को तीन चरणों में भूमि आवंटित हुई जो 31.00 हैक्टर भूमि वर्तमान में रिको के नाम दर्ज है किन्तु सुपुर्दगीनामा नक्शे के मुकाबले रिको के नाम दर्ज भूमि के खसरा संख्या 4698 रकबा 0.80 गै0मु0सडक खसरा नम्बर 5024/8637 रकबा 2.90 हैक्टर बा.3 खसरा संख्या 9948/5028 रकबा 2.46 हैक्टर किता 3 रकबा 6.16 पर रिको मौके पर काबिज नही है, तथा शेष खसरा नम्बर जो कि रिको के नाम दर्ज है, उस पर रिको संचालित है तथा खसरां नम्बर 4698 रकबा 0.80 हैक्टर गै.मु.सडक के उपयोग में तथा खसरा नम्बर 5024/8637 रकबा 2.90 हैक्टर खसरा नम्बर 9948/5028 रकबा 2.46 हैक्टर पर न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय केकड़ी के प्रकरण संख्या सी–529/2015 सनातन धर्म शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय केकड़ी जरिये अध्यक्ष वगै0 बनाम रिको के मध्य वाद विचाराधीन है। रिको के नाम दर्ज उत्तर दिशा में स्थित खसरा संख्या 10293/4810 रकबा 0.35, 4809 रकबा 9.38, 4809/8640 रकबा 1.62 के मौके पर भी रिको संचालित है जबकि वर्तमान जमाबदी के खसरा नम्बर 4809 रकबा 9.38, 10293/4810 रकबा 0.35 राजकीय (सरकारी) भूमियां दर्ज है एवं खसरा नम्बर 4809/8640 रकबा 1.62 नगरपालिका केकड़ी के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 4698 गै.मु.सडक रिको के नाम दर्ज है जबकि उक्त खसरा नम्बर 4698 किस्म गै.मु.सडक पर रिको काबिज नही है तथा रोड पटरी के काम आ रही है। किन्तु मौका स्थिति के अनुसार 4698 रकबा 0.80 गै.मु. सडक को राजस्व नक्शे में सकडी पट्टी दर्शाया गया है जबकि खसरा नम्बर 4698 की पट्टी पूर्व की ओर खसरा नम्बर 9948/5028 एवं 4697 की ओर बढती है तथा सडक के पश्चिम की तरफ दर्ज खसरा संख्या 4713 रकबा 0.13 गै.मु.सडक पर मौके पर सडक नही है। प्रस्तावित दुरूस्ती नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 4698 दुरूस्ती प्रतीत होती है। इस प्रकार मुताबिक मौका स्थिति रिको के खसरा संख्या 4698 रकबा 0.80 गै.मु.सडक, 5024/8637 रकबा 2.90 बा03, 9948/5028 रकबा 2.46 बा03 किता 3 कुल रकबा 6.16 हैक्टर राजकीय भूमियों के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित नक्शा अनुसार एवं राजस्व रिकॉर्ड में तथा राजस्व नक्शे से राजकीय भूमि के खसरा संख्या 10293/4810 रकबा 0.35 सम्पूर्ण व 4809 रकबा 9.38 में से 5.81 हैक्टर किता 2 कुल 6.16 हैक्टर भूमि रिको के नाम किया जाना प्रस्तावित है। अतः खसरा संख्या 4698 रकबा 0.80 गै.मु.सडक, 5024/8637 रकबा 2.90 बा03, खसरा संख्या 9948/5028 रकबा 2.46 बा03 किता 3 कुल रकबा 6.16 हैक्टर जो कि राजस्व रिकॉर्ड में रिको के नाम दर्ज है, को सिवायचक दर्ज किया जाना एवं खसरा संख्या 10293/4810 रकबा 0.35 सम्पूर्ण व 4809 रकबा 9.38 में से 5.81 हैक्टर किता 2 कुल 6.16 हैक्टर जो कि सिवायचक खाते में दर्ज है को राजस्व मानचित्र में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रिको के नाम दर्ज किया जाना उचित बताया तथा खसरा नम्बर 5024/8637, 9948/5028 पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय केकड़ी में वाद विचाराधीन जिरामें प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार स्थगन नही होना अवगत कराया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहरा को सुना गया। प्रार्थनापत्र में उपलब्ध दस्तावेजात/तहसीलदार केकड़ी की मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार, भू.अ.नि. केकडी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेश में दर्शाये गये अनुसार राजस्व रिकॉर्ड/वर्तमान नक्शा में दुरूस्ती की कार्यवाही करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)